बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email:shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 55 दिनांक 20-11-2017

दिनांक– 20.11.2017 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की केन्द्रीय कार्यकारणी की हुई विशेष बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में सदस्यों को बताया गया कि दिनांक– 19.11.2017 को स्व0 तौकीर अकरम, 45वीं बैंच, कोटि क्रमांक– 1210/11, सम्प्रति– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर की आत्महत्या की समाचार सुनने के बाद केन्द्रीय कार्यकारणी की टीम बक्सर जाकर स्व0 तौकीर अकरम के परिजन, समाहर्त्ता, बक्सर एवं जिला इकाई के सदस्यों से वार्त्ता किया।

जिला इकाई एवं समाहर्त्ता द्वारा स्व0 तौकीर अकरम के वेतन नहीं मिलने के संदर्भ में चर्चा की गई। उनका वेतन भू–अर्जन प्राधिकार के आदेश के आलोक में 50% राशि प्राधिकार के खाते में जमा की जाती थी। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह भी संज्ञान में बात आयी कि स्व0 तौकिर के द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में वेतन संबंधी वाद दायर किया गया, जिसका निष्पादन के उपरान्त अपना पक्ष प्राधिकार के समक्ष रखा गया। यह भी संज्ञान में आया किं भू–अर्जन प्राधिकार के द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वेतन संबंध आदेश दिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री से संघ की मांग रही है कि आत्महत्या एवं वेतन संबंधी आदेश की उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय। समाचार के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से जाँच करने को कहा है एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस घटना पर दुःख प्रकट किया गया है। संघ इसका स्वागत करता है एवं माननीय मुख्यमंत्री को

सके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। संघ चाहता है कि वेतन संबंधी गलत आदेश करने प्राधिकार पर ठोस कार्रवाई की जाय। इस संदर्भ में प्रताड़ना एवं आत्महत्या के लिए उ के सम्बन्धित वाद दायर करने का निर्णय लिया गया।

2. वेतन बन्द करने एवं मानसिक प्रताड़ना पर चर्चा किया गया। यह बात उभरकर आई जिलों में पदस्थापित पदाधिकारी अधिक कार्य बोझ होने के बावजूद भी अपने–अपने दायित्व का नि कर रहे है। ऐसे में नियंत्री पदाधिकारी यथा समाहर्त्ता/विभागीय सचिव द्वारा वेतन बन्द करना मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं दुर्व्यवहार करने पर संघ माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृ करायेगा। वेतन बन्द करने एवं मानसिक प्रताड़ना देने का एवं दुर्व्यवहार करने का कोई प्रावधान न है। अतः संघ चाहता है कि इस तरह के आदेश पर तत्काल रोक लगायी जाय।

3. संघ सभी जिला इकाई से अनुरोध करता है कि जिला इकाई की नियमित बैठक क वेतन बन्द, मानसिक प्रताड़ना व इत्यादि अन्य मामले का प्रतिवेदन केन्द्रीय इकाई को भेजना सुनिश्चि करें।

4. पूर्व में निर्णय के अनुसार कल्याण कोष हेतु **प्रति सदस्य 1,000/– (एक हजार** रूपये सहयोग राशि देने का अनुरोध जिला इकाई से करता है।

5. बैठक में सदस्यों द्वारा धान अधिप्राप्ति के मामले में जाँच कर रही SIT के द्वारा सदस्यों का मानसिक प्रताड़ना करने की बात कही गयी। SIT द्वारा मिलरों के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई न करके बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने पर रोष प्रकट किया गया।

संघ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष धान अधिप्राप्ति मामले में अपना पक्ष रखेगा।

अन्त में दिवंगत आत्मा की शांति हेतु दो मिनट का मौन रखा गया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

20/11/17
(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

20/11/17
(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव/सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

20/11/17
(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

प्रतिलिपिः– सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित्।

20/11/17
(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव